

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र)

(दिनांक 18 नवम्बर 2025 से 17 दिसम्बर, 2025 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

वर्ग - 1

सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	15 दिसम्बर, 2025	20 नवम्बर, 2025	21 नवम्बर, 2025
खनिज साधन	"			
ऊर्जा	"			
जनसंपर्क	"			
जल संसाधन	"			
विमानन	"			
सुशासन एवं अभिसरण	"			
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"			
जन शिकायत निवारण	"			
आयाकट	"			
आदिम जाति विकास	आदिम जाति विकास मंत्री			
कृषि विकास एवं किसान कल्याण	"			
तथा जैव प्रौद्योगिकी	"			
मछली पालन	"			
पशुधन विकास	"			
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	16 दिसम्बर, 2025	20 नवम्बर, 2025	21 नवम्बर, 2025
सार्वजनिक उपक्रम	"			
वाणिज्यिक कर (आबकारी)	"			
श्रम	"			
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री			
समाज कल्याण	"			
कौशल विकास	कौशल विकास मंत्री			
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"			
अनुसूचित जाति विकास	"			
लोक निर्माण	उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण)	16 दिसम्बर, 2025	20 नवम्बर, 2025	21 नवम्बर, 2025
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"			
नगरीय प्रशासन एवं विकास	"			
खेलकूद एवं युवा कल्याण	"			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री			
चिकित्सा शिक्षा	"			
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	"			
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"			
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	राजस्व मंत्री			
पुनर्वास	"			
उच्च शिक्षा	"			
पर्यटन	पर्यटन मंत्री			
संस्कृति	"			
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"			

वर्ग - 2

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग - 3				
गृह	उप मुख्यमंत्री (गृह)	17 दिसम्बर, 2025	23 नवम्बर, 2025	24 नवम्बर, 2025
जेल	"			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	"			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	"			
वन एवं जलवायु परिवर्तन	वन मंत्री			
परिवहन	"			
सहकारिता	"			
संसदीय कार्य	"			
वित्त	वित्त मंत्री			
वाणिज्यिक कर	"			
आवास एवं पर्यावरण	"			
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	"			
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री			
ग्रामोद्योग	"			
विधि और विधायी कार्य	"			

- नोट :-**
- विवरण के कालम (3), (4) व (5) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों हेतु लागू होंगे.
 - प्रश्नों की ऑनलाईन सूचनाएं प्रत्येक बैठक हेतु नियत अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 बजे तक ही प्राप्त की जाएंगी तथा ऑफलाईन प्रश्नों की सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष दिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी.
 - माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की ऑनलाईन सूचनाएं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में इस हेतु दिए गए घोषणा-पत्र में दर्शित अधिकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. के माध्यम से लॉगिन करते हुए प्रस्तुत की जा सकेंगी। ऑनलाईन प्रस्तुत ऐसी "ई-प्रश्न की सूचनाएं" संबंधित माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत मानी जाएंगी.
 - ऑफलाईन प्रश्न की सूचना माननीय सदस्यों को उन्हें छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा षष्ठम् विधान सभा में विगत/वर्तमान सत्र में प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी.
 - नियम 31 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी नियत बैठक हेतु प्राप्त प्रथम 4 (चार) प्रश्नों की सूचनाओं के पश्चात् अतिरिक्त संख्या में प्राप्त होने वाले प्रश्नों की सूचनाओं तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली सूचनाओं के संबंध में यह माना जावेगा कि वे सूचनाएं प्राप्त ही नहीं हुईं.
 - ई-मेल/फैक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएंगी.

रायपुर

दिनांक : 18 नवम्बर, 2025

हस्ता./-

दिनेश शर्मा

सचिव,

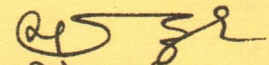
छत्तीसगढ़ विधानसभा

रायपुर, दिनांक : 18 नवम्बर, 2025

पृ.क्र. 14875/वि.स./प्रश्न/2025

प्रतिलिपि :-

- समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा .



दिनेश शर्मा

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा